ई–मेल

पत्रांक – खा०प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–03/2017 – 936

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची, लातेहार एवं लोहरदगा।

/राँची, दिनांक – 17/03/23

विषय :– कम्प्यूटराईजेशन योजना के तहत राशि रूपये 63,04,694.00 (तिरसठ लाख चार हजार छः सौ चौरानवे रूपये) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

जनवितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण (End-to-end Computerization of TPDS) के कार्यान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2615, दिनांक 07.09.2022 द्वारा जनवितरण प्रणाली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, खाद्यान्न वितरण कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं सुगमता लाने तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कम्प्यूटराईजेशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। कम्प्यूटराईजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में रूपये 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये मात्र) के मूल बजटीय उपबंध के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2817, दिनांक 21.09.2022 द्वारा प्रदान की जा चुकी है, जिसका ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या 1393 है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में संभावित व्यय के अतिरिक्त राशि रूपये 4.00 करोड़ मात्र के प्रत्यर्पण के उपरान्त संशोधित उपबंध 46.00 करोड़ है।

2. उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत वर्तमान में जिलों से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 के बकाये राशि के भुगतान हेतु राशि रूपये 63,04,694.00 (तिरसठ लाख चार हजार छः सौ चौरानवे रूपये) मात्र जिलावार निम्नवत् रूप से आवंटित की जाती है (ऑनलाईन आवंटन की प्रति संलग्न) –

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	प्रक्षेत्र	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची।	TSP	70,300	पत्रांक 107, दिनांक 01.03.2023 के आलोक में।
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची।	TSP	46,14,394	पत्रांक 386, दिनांक 01.03.2023 के आलोक में।
3	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार।	TSP	8,90,000	पत्रांक 37, दिनांक 09.01.2023 के आलोक में।
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा।	TSP	7,30,000	पत्रांक 174, दिनांक 21.02.2023 के आलोक में।
कुल			63,04,694	

(तिरसठ लाख चार हजार छः सौ चौरानवे रूपये)

D:\Mukesh - 2022-23\0. Plan_Allotments-Combined-22-23\16. Computerisation\7th_TOS_Allot..._____22-23.doc

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त सारणी के कॉलम–2 में अंकित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे। राशि की निकासी में यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट मुख्य शीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना–27–कम्प्यूटराईजेशन योजना–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण (18S3456007962701O317) अन्तर्गत विकलनीय होगा।

5. आवंटित राशि के नियंत्री पदाधिकारी विभागीय अपर सचिव होंगे।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.1998 एवं पत्रांक 1800, दिनांक 15.7.2003 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी की जायेगी।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन सख्ती से किया जाय। ध्यान रहे कि एक बार में उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की खर्च किया जा सके। साथ ही जो राशि 31 मार्च 2023 तक व्यय नहीं हो, उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से कराकर उसकी सूचना विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाय।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–713, दिनांक 03.03.2023 के आलोक में राशि की निकासी में 15 प्रतिशत की अधिसीमा को क्षान्त किया जाता है।

विश्वासभाजन,

अनु० – यथोक्त।

15/3/23

(हिमानी पाण्डे),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – खा०प्र० 01/ज०वि०प्र०कं०/10–03/2017 – 936, /राँची, दिनांक – 17/03/23

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

सरकार के प्रधान सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/17-Com7/936 दिनांक - 17-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 18 34560079627000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 27 - कम्प्युटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय **State Scheme** State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Centeral Scheme : NA	92955	RNCCSP002 ALBERT BILUNG SPL OFFICER RATIONING. 17 - कार्यालय उपकरण	70,300.00 रुपये सत्तर हजार तीन सौ
2	S 18 34560079627000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 27 - कम्प्युटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय **State Scheme** State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Centeral Scheme : NA	92956	RNCCSP020 ALBERT BILUNG DISTRICT SUPPLY OFFICER,RANCHI 17 - कार्यालय उपकरण	4,614,394.00 रुपये छयालीस लाख चौदह हजार तीन सौ चौरानवे
3	S 18 34560079627000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 27 - कम्प्युटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय **State Scheme** State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Centeral Scheme : NA	92957	LTRDAD032 SHEKHER KUMAR DIST SUUPPLY OFFICER LATEHAR 17 - कार्यालय उपकरण	890,000.00 रुपये आठ लाख नब्बे हजार

योग: रुपये पचपन लाख चौहत्तर हजार छः सौ चौरानवे 5,574,694.00

क्रमिक योग:

(HIMANI PANDE)
PRINCIPAL SECRETARY

 136.233.39.226 Run Date: 17/3/2023

पत्र संख्या - 3/17-Com7/936 दिनांक - 17-Mar-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 18 34560079627000317 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 27 - कम्प्युटराइजेशन योजना 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय **State Scheme** State Scheme : COMPUTERIZATION(0289) Centeral Scheme : NA	92958	LOHCSP003 AMIT BESRA DISTT SUPPLY OFFICER LOHARDAG 17 - कार्यालय उपकरण	730,000.00 रुपये सात लाख तीस हजार

योग: रुपये तीरसठ लाख चार हजार छः सौ चौरानवे 730,000.00

क्रमिक योग: 6,304,694.00

(HIMANI PANDE)
PRINCIPAL SECRETARY

 136.233.39.226 Run Date: 17/3/2023